न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री राहुल सैनी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
190 / 2021	प्रा.पत्र 136 LRA	17.11.2021	16.03.2022

तुलसीराम पुत्र स्व. सांवरमल जाति माली निवासी वार्ड नं. 45, गायत्री नगर चूरू जिला चूरू
–प्रार्थी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री हीरालाल मण्डार प्रार्थी
2. पैरोकार राज अप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की माता स्व. शारदादेवी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 2047 / 39 तादादी 2.2131 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू में स्थित थी। प्रार्थी के पिता सांवरमल का स्वर्गवास माता से पहले ही हो चुका था। प्रार्थी की माता का भी स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी की माता के स्वर्गवास के बाद माता के नाम से खातेदारी भूमि का विरासतन इन्तकाल प्रार्थी के नाम से दर्ज हुआ। भारतीय परम्परा व हिन्दू धर्म की मान्यता के अनुसार व्यक्ति की वल्दियत में माता का नाम न होकर पिता का नाम होना चाहिए जबकि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की माता के नाम दर्ज होने के कारण उक्त विरासतन इन्तकाल सं. 3359 दिनांक 07.12.2020 में प्रार्थी के पिता के स्थान पर माता का नाम दर्ज हो गया। प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड को छोड़कर अन्य सभी दस्तावेजात् आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम तुलसीराम पुत्र सांवरमल अंकित है तथा यही नाम प्रार्थी का सही नाम है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी की वल्दियत में पिता के स्थान पर माता का नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। राजस्व रिकार्ड में उक्त त्रुटि सहवन से हुई है इसलिए उक्त सहवन से हुई त्रुटि को प्रार्थी के अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए न्यायहित में दुरुस्त किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:34 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस[illegible] कर [illegible]दन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि ख.नं. 204[illegible] कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू में प्रार्थी खातेदार के [illegible] जमाबन्दी में सहवन [illegible] तुलसीराम पुत्र शारदादेवी के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम तुल[illegible]राम पुत्र स्व. सांवरमल [illegible] किया जाकर जमाबन्दी को दुरुस्त किया जाने का आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय, चूरू को दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन अप्रार्थी की तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं जवाब न देकर "No Objection" अंकित किया।

तहसीलदार, चूरू की ओर से उपस्थित पैरोकार राज द्वारा "No Objection" अंकित करने पर अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार राज की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी की माता के स्वर्गवास के बाद दर्ज विरासतन इन्तकाल में वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता शारदादेवी के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी के पिता के नाम के स्थान पर माता का नाम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में उसके पिता सांवरमल का नाम अंकित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता के नाम के स्थान पर माता का नाम गलत दर्ज होने से उसे केसीसी, कृषि मुआवजा व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा उसके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी ने वादगत कृषि भूमि में माता के स्थान पर पिता के नाम को दुरुस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें अप्रार्थीगण ने अनापत्ति प्रकट की है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम तुलसीराम पुत्र शारदादेवी के स्थान पर तुलसीराम पुत्र स्व. सांवरमल अंकित करने का आदेश फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने अपनी संक्षिप्त बहस में कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी की वल्दियत में माता के स्थान पर पिता का नाम उसके दस्तावेजों के अनुसार किया जाता है, तो राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ख.नं. 2047/39 तादादी 2.2131 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू में प्रार्थी का नाम तुलसीराम पुत्र शारदादेवी दर्ज है जिसको प्रार्थी दुरुस्त करवा कर तुलसीराम पुत्र सांवरमल करवाना चाहता हैं। नकल नामान्तरकरण संख्या 3359 दिनांक 07.12.2020 के अनुसार ख.नं. 2047/39 की खातेदार शारदादेवी पुत्री सुखाराम के फौत होने पर वादगत कृषि भूमि उसके एकमात्र वारिस प्रार्थी तुलसीराम के नाम दर्ज हुई है जिसमें प्रार्थी की वल्दियत में माता शारदादेवी का नाम दर्ज किया गया है। प्रार्थी के राशन कार्ड सं. 104904500235, मतदाता पहचान पत्र सं. HDC/1168160, आधार कार्ड सं. 870561195838, पेन कार्ड सं. EUCPR3126N में प्रार्थी की वल्दियत में प्रार्थी के पिता सांवरमल का नाम अंकित है। इसके अलावा सांवरमल पुत्र स्व. भैराराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 45, गायत्री नगर के वारिस प्रमाण पत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रार्थी की माता का नाम शारदादेवी है तथा पिता का नाम सांवरमल है। अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से पैरोकार राज को उक्त दुरुस्ती के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। पैरोकार राज ने "No Objection" अंकित करते हुए बहस में कथन किया है कि प्रार्थी की वल्दियत में माता के स्थान पर पिता का नाम उनके दस्तावेजों के अनुसार किया जाता है, तो राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 2047/39 तादादी 2.2131 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू में प्रार्थी के पिता के नाम के स्थान पर माता का नाम दर्ज है जिसको प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की माता की पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि रही है। प्रार्थी की माता शारदादेवी का स्वर्गवास होने पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज विरासतन नामान्तरण में प्रार्थी के पिता के नाम के स्थान पर माता शारदादेवी का नाम सहवन से गलत दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी की वल्दियत में पिता सांवरमल का नाम अंकित है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज वल्दियत के नामों में भिन्नता होने से प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना परिलक्षित होता है। विधिक प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की वल्दियत में उसके पिता का नाम दर्ज किया जाना चाहिए, न कि माता का नाम जबकि प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व कार्मिकों द्वारा भूमि माता के नाम दर्ज होने के कारण माता के स्वर्गवास के बाद दर्ज विरासतन नामान्तरकरण में सहवन से प्रार्थी की वल्दियत में पिता के नाम के स्थान पर माता का नाम दर्ज कर त्रुटि की है जो धारा 136 एल.आर. एक्ट के प्रावधानों में कवर होती है। प्रार्थी वादगत कृषि भूमि का एकल खातेदार काश्तकार हैं इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड की वल्दियत में अंकित माता के नाम के स्थान पर अपने पिता का नाम अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरुस्त करवाने का अधिकार है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की वल्दियत में माता के स्थान पर पिता का नाम अंकित किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों एवं पैरोकार राज के "No Objection" के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों एवं पैरोकार राज के "No Objection" के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि ख.नं. 2047/39 तादादी 2.2131 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू में प्रार्थी का नाम तुलसीराम पुत्र शारदादेवी के स्थान पर तुलसीराम पुत्र सांवरमल दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरुस्ती करें।

आदेश आज दिनांक 16.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:34 IST
Reason: SelfAttested